वित्तीय स्वीकृति

संख्या-7/2026/137/18-2-2026-18-2099/26/2022

प्रेषक

शिशिर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 फरवरी, 2026

विषयः- अलीगढ़ के ग्राम ख्यामई , परगना-खैर, तहसील-गभाना में औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-859/औ0आ0-11/अलीगढ़/पत्रा0क्र0-64/2025-26, दिनांक 19-01-2026, शासनादेश संख्या-14/2024/214/18-2-2024-18-2099/26/2022, दिनांक 13-3-2024 एवं शासनादेश संख्या-56/2024/1863/18-2-2024-18-2099/26/2022, दिनांक 20-11-2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अलीगढ़ के ग्राम ख्यामई, परगना-खैर, तहसील-गभाना में औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु अनुमोदित लागत रू0 6153.57 लाख के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 1538.39 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अड़तीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त निर्माण कार्य को अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा, यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य समयबद्वता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

3- प्रायोजना के निर्माण से संबंधित मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम स्थानीय निकाय से स्वीकृत कराये जाने का उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

4- प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का होगा।

5- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इस आशय का उल्लेख संबंधित शासनादेश में सम्मिलित किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित नहीं किया गया है।

7- कार्य की लागत के संबंध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों शिड्यूल आफ रेट्स के अनुरूप हैं।

8- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि आहरित कर तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

10- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायेगा। कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन जिला स्तरीय तकनीकी समिति से संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा कराया जायेगा एवं आयुक्त एवं निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11- आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना लागत की अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि प्रायोजना के पूर्ण होने एवं उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जायेगी।

14- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- प्रश्नगत औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत ही भूखण्डों को उद्यमियों को आवंटित किया जायेगा एवं इससे प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

16- उक्त वित्तीय स्वीकृति पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

17- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1538.39 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अड़तीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के लेखाशीर्षक "4851-ग्राम एवं उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-06-नये औद्योगिक आस्थानों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

शिशिर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित जनपदीय उपायुक्त उद्योग।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

शिशिर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।